

In The Court Of Additional District & Sessions Judge-XVI, Motihari
Schedule XIII High Court (M) 66C. [Old Criminal Process No. 40.]

SUMMONS TO WITNESS

No. 33 Schedule E II, Act 2 1974,
(Section 61 and 244 of the Code of Criminal Procedure.)

सम्मन ब नाम गवाह

(दफा 61 और 244 मजअमुए जबाविते फौजदारी)

Sessions Trial No.- 207/19

थानाध्यक्ष

P.S Case No.- रामठाढ़वा-06/13

ब-नाम

डा० सुबोधनाथ सिंह

S.K.M.C.H. मुजफ्फरपुर

189/

13/3/2021

चूंकि मेरे पास इस्तदोआ किया है कि

साकिन.

न आप (2)

(1) है या करने का
उनपर सबहा किया
गया है।

किये हैं (2)

(2) जुर्म को और मुझे मालूम होता है कि गोलजन आप गवाही माकूम की
एख्तयार के साथ तरह से मुदर्ई को दे सकेंगे।
के किस वक्त और
जगह के लिए।

इसलिए इसके जरिए से आपको सम्मन दिया जाता है के आप इस न्यायालय में
ब-तारीख 09 माह 03 सन् 2021 आइन्दा '10:00 बजे को

हाजिर होकर इजहार दें के आप मुआमला मजकूर के बाबत क्या जानते और
बिना इजाजत के अदालत से न जायें और बजरिये इसके आपको आगाह किया
जाता है कि अगर आप बिना उजुर माकुम के तारीख भजकूर पर हाजिर होने मेंगफलत
करें या न हाजिर हों तो आपको जबरन हाजिर करने के लिए वारण्ट जारी किया जायेगा।
मेरे दस्तखत और अदालत के मोहर से दिया गया।

आज तारीख 04 माह 03 सन् 2021

Hon'ble High Court direction
case
forwarded to civil surgeon
muzaffarpur

Additional Sessions Judge-XVI,

Motihari

04.03.21

16HAST
04.03.21



जापोक 1642

दिनांक 16/03/2021

व्यक्तिगतः - व्यापारिणी श्री इ. एम. नारायण मुजफ्फरपुर
को हस्तगत एवं आगमक कारिणी हेतु
अभिर ।

16.3.21

अधीक्षक,

कृष्य विक्रिया महाविद्यालय अस्पताल
मुजफ्फरपुर

15/3/21

Sri Krishan Medical College, Muz.

Letter No:- 1404/21

Date:- 16/03/21

Receiver Sign